न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 — 160 / 2025

अनवान : —

1 रामदयाल पुत्र मनीराम जाति नाई निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम्

1. हरिशचन्द्र पुत्र काशीराम जाति नाई निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :—श्री इन्द्रजीत सिंह अधिवक्ता प्रार्थी

श्री महावीर वर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी

दिनांक 27/10/25

निर्णय

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चकनं0 16 एनजीसी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 52 / 54 में कुल 1.012 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा अप्रार्थी सं० 1 के नाम से चकनं0 16 एनजीसी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 81 / 78 में कुल 1.012 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दीयॉ संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी के पास अपनी आराजी में आवागमन के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। प्रार्थी अपनी आराजी में आवागमन के लिए प0न0 199 / 265 के किलानं0 1 ता 5 में चल रहे रास्ता से होकर अप्रार्थी सं० 1 की भूमि प0न0 199 / 264 मुं0 6 किलानं0 21,20,11 में से होकर अपनी भूमि किलानं0 10 में प्रवेश करता चला आ रहा है उक्त रास्ता चालू है लेकिन उक्त रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन नही है प्रार्थी के पास उपरोक्त चालू रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही होने से प्रार्थी को अपने खेत में कृषि श्यंत्र लाने व ले जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थीगण सं० 1 की भूमि चकनं0 16 एनजीसी के प0न0 199 / 264 मु0 6 किलानं0 11,20,21 में प्रत्येक किला में .015 है० चौड़ा रास्ता पश्चिमी दिशा की तरफ दक्षिण से उतर स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहता है । उपरोक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अपनी आराजी में आवागमन करने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। रास्ता की भूमि के बदले में प्रार्थी डी. एल. सी. रेट की दोगुणा राशि देने के लिए तैयार है । प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कई दफा निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 के अनुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवा देवे तो अप्रार्थीगण आज से दो रोज पूर्व ग्राम चन्दूरवाली में कतई इन्कार हो गये। बस यही प्रार्थना पत्र है।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र प्रार्थी रास्ता स्वीकृति का है जो पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर व काबिल समाअत अदालत हाजा के है । लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर०टी०ए० प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण सं० 1 की भूमि चकनं0 16 एनजीसी के प०न० 199/264 मु0 6 किलानं0 11,20,21 में प्रत्येक किला में .015 है0 चौड़ा रास्ता पश्चिमी दिशा की तरफ दक्षिण से उतर स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में गै०मुव रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि अनुवान सदर के मुकदमा में हम पक्षकारान का आपस में राजीनामा हो गया है। प्रथम पक्ष के नाम से चकनं0 16 एनजीसी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 52/54 में कुल 1.012 है० आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा द्वितीय पक्ष के नाम से चकनं0 16 एनजीसी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 81/78 में कुल 1. 012 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है । प्रथम पक्ष के पास अपनी आराजी में आवागमन के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। प्रथम पक्ष अपनी आराजी में आवागमन के लिए प0न0 199/265 के किलानं0 1 ता 5 में चल रहे रास्ता से होकर द्वितीय पक्ष की भूमि प0न0 199/264 मु0 6 किलानं0 21,20,11 में से होकर अपनी भूमि किलानं0 10 में प्रवेश करता चला आ रहा है उक्त रास्ता चालू है, उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृतशुदा नही है । द्वितीय पक्ष को उक्त रास्ता की भूमि के बदले में प्रार्थी के नाम से दर्ज चक नं0 16 एनजीसी के प0न0 199/264 मु0 6 किलानं0 10 में से 15 फुट चौड़ी व 165 फुट लम्बी कृषि भूमि दक्षिण दिशा की तरफ पूर्व से पश्चिम दी हुई है, जो द्वितीय पक्ष के कब्जा में है । इसलिए चकनं0 199/264 मु0 6 किलानं0 21,20,11 में प्रत्येक किला में 0.015 है० चौड़ा रास्ता पश्चिमी दिशा की तरफ दक्षिण से उतर स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै०मुव रास्ता का अंकन कर प्रथम पक्ष के नाम से दर्ज आराजी मे से चक नं0 16 एनजीसी के प0न0 199/264 मु0 6 किलानं0 10 में से 15 फुट चौड़ी व 165 फुट लम्बी कृषि भूमि दक्षिण दिशा की तरफ पूर्व से पश्चिम अप्रार्थी हरिशचन्द्र के खाते में अंकित कर प्रथम पक्ष का हिस्सा कम किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई उज्र व एतराज नही है। इसी अनुसार हमारा आपस में राजीनामा हो गया है। हम पक्षकारान राजीनामा से सहमत है। लिहाजा राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर मुताबिक राजीनामा मुकदमा का निस्तारण फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी दौराने बहस उभयपक्ष वकील उभयपक्ष ने सहमति प्रकट की बाद मुताबिक राजीनामा प्रार्थना स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जावे।

बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी के नाम से चकनं0 16 एनजीसी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 52/54 में कुल 1.012 है0 आराजी दर्ज

Scanned with CamScanner

राजस्व रिकार्ड है तथा अप्रार्थी सं० 1 के नाम से चकनं0 16 एनजीरी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 81/78 में कुल 1.012 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थी उक्त प्रस्तावित रास्ते से ही आवागमन कर रहा है। अतः उक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानो से सुसंगत होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चकनं0 199/264 मु0 6 किलानं0 21,20,11 में प्रत्येक किला में 0.015 है० चौड़ा रास्ता पश्चिमी दिशा की तरफ दक्षिण से उतर स्वीकृत किया जाता है स्वीकृत किये गये रास्ते में आयी भूमि के बदले में चक नं0 16 एनजीसी के प0न0 199/264 मु0 6 किलानं0 10 में से 15 फुट चौड़ी व 165 फुट लम्बी (.023 है0) कृषि भूमि दक्षिण दिशा की तरफ पूर्व से पश्चिम अप्रार्थी हरिशचन्द्र के नाम से अंकित कर रामदयाल का हिस्सा कम किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 27/10/20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner